अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2023(GCMS 2023/177)(आईटीआई पोर्टल नं. 215509961114109) श्री सोनू कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, वार्ड नं. 09, नजदीक अग्रवाल धर्मशाला, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.10.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सोनू कुमार स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2023 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधकारी, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2023 के द्वारा निम्न सूचना चाही थीः

1. धानक जाति राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किस कैटेगरी (वर्ग) में आती है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (SC या ST)
2. धाणका जाति राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किस कैटेगरी (वर्ग) में आती है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (SC या ST)
3. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (SC या ST) के जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं।
4. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जाति के अंतर्गत कुल कितनी जातियां (CAST) आती है, प्रमाणित लिस्ट प्रदान करने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कितनी जातियां (CAST) आती है। प्रमाणित लिस्ट प्रदान करने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 87 दिनांक 18.10.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार जवाब किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री सोनू कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील पत्र व ऑनलाईन आवेदन नं. 212905009872685 दिनांक 23.08.2023 की प्रति भिजवाई गई है।
>
> श्रीमानजी इस संबंध में निवेदन है कि अपीलार्थी सोनू कुमार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.08.2023 को ऑनलाईन आरटीआई एप्लिकेशन नं. 212905009872685 इस कार्यालय को प्राप्त हुई थी। जिसमें मांगी गई सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण यह ऑलाईन आरटीआई संबंधित विभाग को दिनांक 03.10.2023 को भिजवा दी गई थी।
>
> सूंचना सादर प्रेषित है।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> श्रीगंगानगर

चूंकि **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** ने अपील का जवाब दिनांक 18.10.2023 में अंकित किया है कि उनके द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर से होने के कारण उन्होनें अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र एवं प्रथम अपील सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारित विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है और **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, श्रीगंगानगर **के विरूद्ध सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की यहां से खारिज की जाती हैं । अपीलार्थी अपनी वांछित सूचना हेतु** सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़. तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested